

बजट अनुमान 2008-09 के संदर्भ में
आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा

छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (कं.16 2005) अधिनियमित किया गया है।

इस अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री हर तिमाही में बजट अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षाओं के निष्कर्ष विधानसभा के सदन में रखेंगे। इस अधिनियम की धारा 6 (3) (दो) के अनुसार जब अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत डाली गई बाध्यता की पूर्ति में कोई विचलन होता है तब वित्त मंत्री विधानसभा के सदन में निम्नलिखित को स्पष्ट करते हुये बयान देंगे : -

- (क) इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार पर डाली गई बाध्यता की पूर्ति में ऐसा विचलन ;
- (ख) क्या ऐसा विचलन भारी मात्रा में और वास्तविक या संभाव्य बजटीय परिणामों से संबंधित है; तथा
- (ग) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय ।

छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वार्षिक बजट 2008-09 के संदर्भ में अंतिम तिमाही की आय तथा व्यय की समीक्षा की गई। इन समीक्षाओं का निष्कर्ष निम्नानुसार रहा :-

राजस्व आय की समीक्षा

राज्य की कुल राजस्व आय में निम्नानुसार भाग होते हैं :-

1. राज्य को प्राप्त होने वाले केन्द्रीय करों का हिस्सा ।
2. राज्य का कर राजस्व ।
3. राज्य का करेतर राजस्व ।
4. केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान ।

वर्ष 2008-09 के बजट में राजस्व आय हेतु राशि रूपये 15656.16 करोड़ का प्रावधान किया गया था जो कि पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर राशि रूपये 16777.82 करोड़ हो गया। महालेखाकर से प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां जनवरी से मार्च, 2009 की अवधि में रूपये 5389.11 करोड़ एवं माह अप्रैल, 08 से मार्च, 2009 की अवधि में रूपये 15661.79 करोड़ की थी जो कि पुनरीक्षित अनुमान 2008-09 के संदर्भ में कमशः 32 प्रतिशत एवं 93.35 प्रतिशत है।

पुनरीक्षित अनुमान 08-09 के संदर्भ में अंतिम तिमाही में प्राप्त राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 “अ” में दिया गया है। मदवार प्राप्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. केन्द्रीय करों का हिस्सा - केन्द्र सरकार के वार्षिक बजट 2008-09 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त होने वाले केन्द्रीय करों का अनुमानित हिस्सा राशि रूपये 4751. 10 करोड़ था। इस आधार पर राज्य बजट के पुनरीक्षित अनुमान में राशि रूपये 4751. 10 करोड़ का आंकलन किया गया था। जनवरी से मार्च, 2009 की अवधि में इस मद में प्राप्तियां रूपये 1203.68 करोड़ की थीं जो कि पुनरीक्षित अनुमान का 25.33 प्रतिशत है। इस वर्ष अप्रैल से मार्च की अवधि में प्राप्त केन्द्रीय करों का हिस्सा गत वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त राशि का 6 प्रतिशत अधिक है।

2. राज्य का कर राजस्व - राज्य के कर राजस्व का पुनरीक्षित अनुमान 2008-09 के संदर्भ में प्रवृत्तियां परिशिष्ट-1 “अ” में दर्शायी गई हैं। जनवरी से मार्च, 2009 की अवधि में इस मद में प्राप्तियां रूपये 1997.41 करोड़ की थीं जो कि पुनरीक्षित अनुमान का 31.56 प्रतिशत है। राज्य की कर राजस्व की माह अप्रैल, 08 से मार्च, 2009 तक की प्राप्तियां गत वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त राजस्व की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत अधिक है। राज्य के कर राजस्व की कुछ प्रमुख मदों की प्राप्तियां परिशिष्ट-1 “ब” में दर्शायी गई हैं।

3. राज्य का करेतर राजस्व - राज्य के करेतर राजस्व का जनवरी से मार्च, 2009 तक की पुनरीक्षित अनुमान के संदर्भ में प्रवृत्तियां परिशिष्ट-1 “अ” में दर्शायी गई हैं। जनवरी से मार्च, 2009 की अवधि में इस मद में प्राप्तियां रूपये 798.80 करोड़ की थीं जो कि पुनरीक्षित अनुमान का 39.58 प्रतिशत है तथा गत वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त राशि की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत अधिक है। राज्य की करेतर राजस्व की माह अप्रैल, 08 से मार्च, 2009 तक की प्राप्तियां गत वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त राजस्व की तुलना में लगभग 09 प्रतिशत अधिक है। राज्य के करेतर राजस्व की कुछ प्रमुख मदों की प्राप्तियां परिशिष्ट-1 “स” में दर्शायी गई हैं।

4. केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान - केन्द्र से प्राप्त सहायक अनुदान की जनवरी से मार्च, 2009 तक की पुनरीक्षित अनुमान के संदर्भ में विवरण परिशिष्ट-1 “अ” में दर्शायी गई है। जनवरी से मार्च, 2009 की अवधि में इस मद में प्राप्तियां रूपये 1389.22 करोड़ की थीं जो कि पुनरीक्षित अनुमान का 37.74 प्रतिशत है तथा गत वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त राशि की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम है। केन्द्र से

प्राप्त सहायक अनुदान की माह अप्रैल, 08 से मार्च, 2009 तक की प्राप्तियां गत वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त अनुदान की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत अधिक है।

इस प्रकार कुल राजस्व प्राप्तियां पुनरीक्षित अनुमानों के संदर्भ में 93.35 प्रतिशत एवं वर्ष 08-09 के अंतिम तिमाही में प्राप्त राजस्व प्राप्तियों पुनरीक्षित अनुमानों के संदर्भ में 32.12 प्रतिशत रही। केन्द्र से सहायक अनुदान मद में अपेक्षा अनुरूप प्राप्तियां न होने के कारण कुल प्राप्तियां लक्ष्य से कम रही।

व्यय की समीक्षा

वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान में राजस्व व्यय हेतु राशि रूपये 13878.62 करोड़ का प्रावधान किया गया था जो कि पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर राशि रूपये 15729.20 करोड़ हो गया । इसी प्रकार बजट अनुमान 2008-09 में पूंजीगत व्यय राशि रूपये 3903.46 करोड़ अनुमानित किया गया था जो कि पुनरीक्षित अनुमान में रूपये 3465.36 करोड़ हो गया । पुनरीक्षित अनुमानों के संदर्भ में व्यय की स्थिति परिशिष्ट-2 “अ” में दिखाया गया है ।

बजट अनुमान वर्ष 2008-09 में आयोजना व्यय हेतु राशि रूपये 10154.51 करोड़ का प्रावधान किया गया था जो कि पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर राशि रूपये 10733.68 करोड़ हो गया । वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा ली गई समीक्षा के दौरान जनवरी से मार्च, 2009 की अवधि में इस मद में राशि रूपये 3896.14 करोड़ का व्यय पाया गया जो कि पुनरीक्षित अनुमान 2008-09 के संदर्भ में 36.30 प्रतिशत है तथा गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 04 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2008-09 में अप्रैल से मार्च की अवधि में 8805.68 करोड़ व्यय किया गया जो कि पुनरीक्षित अनुमान का 82.04 प्रतिशत है तथा गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 23 प्रतिशत अधिक है ।

बजट अनुमान वर्ष 2008-09 में आयोजनेतर व्यय हेतु राशि रूपये 8131.29 करोड़ का प्रावधान किया गया था जो कि पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर राशि रूपये 9012.66 करोड़ हो गया । वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा ली गई समीक्षा के दौरान जनवरी से मार्च, 2009 की अवधि में इस मद में राशि रूपये 3164.89 करोड़ का व्यय पाया गया जो कि पुनरीक्षित अनुमान 2008-09 के संदर्भ में 35.12 प्रतिशत है तथा गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 08 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2008-09 में अप्रैल से मार्च की अवधि में 8275.65 करोड़ व्यय किया गया जो कि पुनरीक्षित अनुमान का 91.82 प्रतिशत है तथा गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक है ।

पुनरीक्षित अनुमानों के संदर्भ में आयोजना तथा आयोजनेतर व्यय की स्थिति परिशिष्ट-2 “ब” में दिखाया गया है ।

समग्र वित्तीय संक्षेपिका

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2009 तक राज्य का राजस्व घाटा शून्य स्तर पर तथा वित्तीय घाटे को सकल घरेलु उत्पाद के 3 प्रतिशत तक सीमित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य के वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में संशोधन के माध्यम से दर्शाया गया है।

अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 की आय तथा व्यय की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पुनरीक्षित अनुमान 2008-09 में प्रावधानित राजस्व आधिक्य रूपये 1048.62 करोड़ की तुलना में राजस्व आधिक्य रूपये 2012.27 करोड़ रहा।

बजट अनुमान 2008-09 में प्रावधानित वित्तीय घाटा रूपये 1911.67 करोड़ जो कि पुनरीक्षित अनुमान में 2255.83 करोड़ अनुमानित किया गया था, की तुलना में वित्तीय घाटे में कमी आयी। वित्तीय घाटा इस वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्य के स्तर से घटकर रूपये 883.44 करोड़ रहा।

इस प्रकार आय तथा व्यय की समीक्षा के आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि इस वित्तीय वर्ष के वित्तीय लक्ष्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों के अधीन बनाये गये नियमों की सीमा के अंदर हैं।

डॉ.रमन सिंह
वित्त विभाग के
प्रभारी मंत्री

(अ) राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(राशि करोड़ में)

क्र.	मद	पुनरीक्षित अनुमान 2008-09	महालेखाकार से प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के अनुसार			
			जनवरी से मार्च, 09 की प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित अनुमान के संदर्भ में प्रतिशत	अप्रैल, 08 से मार्च, 09 की प्राप्तियाँ महालेखाकर से प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के अनुसार	पुनरीक्षित अनुमान के संदर्भ में प्रतिशत
1.	केन्द्रीय करों का हिस्सा	4751.10	1203.68	25.33	4258.01	89.62
2.	राज्य का कर राजस्व	6327.95	1997.41	31.56	6593.62	104.20
3.	राज्य का करेत्तर राजस्व	2018.19	798.8	39.58	2201.59	109.09
4.	केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	3680.58	1389.22	37.74	2608.57	70.87
कुल राजस्व प्राप्तियां		16777.82	5389.11	32.12	15661.79	93.35

(ब) राज्य के कर राजस्व की प्रमुख मर्दें

(राशि करोड़ में)

	मद	पुनरीक्षित अनुमान 2008-09	जनवरी से मार्च, 09 की प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित अनुमान के संदर्भ में प्रतिशत	अप्रैल, 08 से मार्च, 09 की प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित अनुमान के संदर्भ में प्रतिशत
1.	स्टाम्प व पंजीकरण	520.00	172.36	33.15	495.59	95.31
2.	ब्रिकी कर	3470.00	1163.53	33.53	3610.94	104.06
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	950.00	290.32	30.56	964.10	101.48
4.	बिजली पर कर और शुल्क	476.75	106.57	22.35	415.10	87.07
5.	वाहनों पर कर	315.50	94.17	29.85	313.78	99.45
6.	माल और यात्रियों पर कर	485.00	104.39	21.52	420.71	86.74

(स) राज्य के करेत्तर राजस्व की मुख्य मर्दें

(राशि करोड़ में)

	मद	पुनरीक्षित अनुमान 2008-09	जनवरी से मार्च, 09 की प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित अनुमान के संदर्भ में प्रतिशत	अप्रैल, 08 से मार्च, 09 की प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित अनुमान के संदर्भ में प्रतिशत
1.	वानिकी ओर बन्य जीवन	280.00	90.37	32.28	322.29	115.10
2.	सिंचाइ	170.91	51.90	30.37	148.35	86.80
3.	अलोह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	1185.50	347.67	29.33	1242.61	104.82

(अ) बजट अनुमानों के संदर्भ में व्यय की प्रवृत्तियां

(राशि करोड़ में)

क्र.	मद	पुनरीक्षित अनुमान 2008-09	जनवरी से मार्च, 2009 तक व्यय	पुनरीक्षित अनुमान के संदर्भ में प्रतिशत	अप्रैल, 08 से मार्च, 2009 तक व्यय महालेखाकार से प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के अनुसार	पुनरीक्षित अनुमान के संदर्भ में प्रतिशत
1.	राजस्व व्यय	15729.20	5624.85	35.76	13649.52	86.78
2.	पूँजीगत व्यय	3465.36	1369.32	39.51	2939.59	84.83
3.	ऋण तथा अग्रिम	551.78	66.84	12.11	492.21	89.20
कुल		19746.34	7061.01	35.76	17081.32	86.50

(ब) बजट अनुमानों के संदर्भ में आयोजना एवं आयोजनेत्तर व्यय की स्थिति

(राशि करोड़ में)

क्र.	मद	पुनरीक्षित अनुमान 2008-09	जनवरी से मार्च, 2009 तक व्यय	पुनरीक्षित अनुमान के संदर्भ में प्रतिशत	अप्रैल, 08 से मार्च, 2009 तक व्यय	पुनरीक्षित अनुमान के संदर्भ में प्रतिशत
1.	आयोजना व्यय	10733.68	3896.14	36.30	8805.68	82.04
2.	आयोजनेत्तर व्यय	9012.66	3164.89	35.12	8275.65	91.82
कुल		19746.34	7061.03	35.76	17081.33	86.50